The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research
An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 4 | Issue 4 | April 2026
ISSN: 2583-973X (Online), SJIF IF: 5.6
Website: www.theacademic.in

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थितिः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. खेमचंद
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, गवर्नमेंट कॉलेज, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, भारत

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.20140258

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 26-04-2026

Published: 10-05-2026

Keywords:

भारतीय समाज, सृष्टि संचालन, सामाजिक स्तर

ABSTRACT

उस सर्वोच्च सत्ता के सबसे पुनीत एवं महत्त्वपूर्ण कार्य सृष्टि संचालन में बराबर से भी ऊपर की हिस्सेदारी होते हुए भी महिला दोयम दर्जे की मानव है, और यह केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु समस्त विश्व में, जो राष्ट्र अपने आप को विकसित, सर्वसाधनसम्पन्न कहते हैं, उस समाज में भी महिला की परिस्थिति कोई भिन्न नहीं है बल्कि वहां भी वह दूसरे ही पायदान पर है। बराबर से ऊपर की हिस्सेदारी को समझने के लिए हम दो प्रश्न कर सकते हैं। पहला कि यदि अखिल विश्व स्तर पर सभी महिलाओं को विलुप्त कर दिया जाये तो क्या पुरूष समाज सृष्टि संचालन को आगे बढ़ा पायेगा? और दूसरा यह कि यदि अखिल विश्व स्तर पर सभी पुरूषों को विलुप्त कर दिया जाये तो क्या महिला समाज सृष्टि संचालन को आगे बढ़ा पायेगा? पहले प्रश्न का उत्तर है– बिल्कुल नहीं। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है– हाँ। आप समझ सकते हैं कि उस पीरियड में न जाने कितनी महिलाएं गर्भ अवस्था में होंगी जो परमेश्वर के उस कार्य को आगे बढ़ा सकती हैं। अब हम बात करते हैं अपने भारतीय समाज की। उस सभ्यता की, उस संस्कृति की जो यह मानकर चलती है कि जिस घर में या जिस समाज में नारी की पूजा नहीं होती अर्थात नारी सम्मान नहीं दिया जाता वहां देवता निवास नहीं करते और वहां किसी भी प्रकार का सुख नहीं होता। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि वास्तविकता तो हमारे अपने समाज की भी उल्टी है अर्थात हम नारी का कितना सम्मान कर रहे हैं? यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। वैदिक काल से लेकर आज तक हमने महिलाओं के सम्मान की, उनके अधिकारों की खूब बातें की हैं, लेकिन क्या आज भी हम उन्हें उनका वो स्थान, वो रूतबा दिला पाये है, जिसकी वास्तव में वो हकदार है। मैं प्रस्तुत आलेख के माध्यम से

अपने भारतीय समाज में वैदिक काल से लेकर आज तक महिलाओं की वास्तविक परिस्थिति का प्रत्येक क्षेत्र से सम्बन्धित सजीव चित्रण करने का प्रयास करूंगा।

वैदिक काल में महिला समाज का सामाजिक स्तर

प्रारम्भिक वैदिक काल में हमारे भारतीय समाज में महिलाओं का सामाजिक स्तर अपेक्षाकृत बहुत ठीक था। उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार था। उन्हें स्वयं अपना वर चुनने की आजादी थी। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में वे बराबर का हाथ बँटाती थी लेकिन जैसे—जैसे वर्ण—व्यवस्था ने अपने पैर जमाने शुरू किये वैसे—वैसे ही महिलाओं की परिस्थिति में गिरावट आती चली गई। शूद्र वर्ण की महिलाओं को उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। कम उम्र में बालिकाओं के विवाह करना, उन्हें वेद—शास्त्रों के अध्ययन से रोकना, महिला—शिक्षा के लिए अलग से गुरूकुलों की व्यवस्था न होना यह सब दर्शाता है कि उत्तरवैदिक काल में महिलाओं के सामाजिक स्तर में खूब गिरावट आ गई थी। इस समय गुरू के परिवार की लड़कियाँ, राजघरानों की पुत्रियाँ, उच्च पदाधिकारियों की पुत्रियाँ तथा धनी और विशिष्ट लोगों की बेटियाँ ही गुरूकुलों में प्रवेश ले पाती थीं। सामान्य परिवारों की पुत्रियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थीं। धीरे—धीरे स्त्री शिक्षा उपेक्षित होती चली गई और महिला अपनी प्रारंभिक स्थिति को भी न पा सकी। वैसे हम इस युग की अनेक महिलाओं के नाम आदर्श के रूप में ले सकते हैं जिन्होंने अपने—अपने क्षेत्र में अपना नाम अपने काम और युग के साथ जोड़ दिया— अनुसुइया, गार्गी, सीता, सावित्री, शाश्वती, घोषा, अपाला, होमशा तथा विश्वास आदि।

बौद्धकाल में नारी का सामाजिक स्तर—

बौद्ध काल के प्रारम्भ में तो महिला की स्थिति दयनीय थी लेकिन जैसे ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध मठों एवं विहारों में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की, तो मठों एवं विहारों में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था की गई लेकिन चूँकि संघ के नियम बहुत ही कठोर थे अतः कम बालिकाऐं ही शिक्षा प्राप्त कर सकीं। कुल मिलाकर बौद्धकाल में भी महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी बल्कि हम यह भी कह सकते हैं कि वैदिक काल के मुकाबले बौद्धकाल में महिला का सामाजिक स्तर गिर गया था। बहरहाल इस युग की कुछ विदुषी महिलाओं के नामों का उल्लेख हम यहां कर सकते हैं— प्रभुदेवी, विजयांका, रानी नयनिका, रानी प्रभावती गुप्त, शील भट्टारिका, संघमित्रा, हर्षमित्रा आदि।

मध्य—युग में स्त्री की सामाजिक परिस्थिति—

इस युग में केवल राज परिवारों एवं अभिजात वर्ग की महिलाओं के लिए घर पर ही पढ़ने की सुविधाऐं थीं। बाकी अन्य कोई स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था नहीं थी। कहीं—कहीं क्षेत्रीय मस्जिदों से संलग्न मकतब में साधारण शिक्षा की व्यवस्था होती थीं बाद में कुछ लोगों ने उच्च शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास किया था जैसे कि तुर्क अफगान शासन में राजपरिवार की स्त्रियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था थी। ग्यासुद्दीन

खिलजी ने एक मदरसे की स्थापना की थी। इस काल की कुछ महिलाओं के नाम दृष्टव्य हैं– रजिया सुलतान, गुलबदन बेगम, नूरजहाँ, सलीमा, जहाँआरा बेगम, मुमताज, जैबुन्निसा आदि।

आधुनिक काल में महिला का सामाजिक स्तर–

आधुनिक युग में महिलाओं को समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, नीतियों, सुझावों एवं सुविधाओं को अमल में लाया गया है। विभिन्न शिक्षा आयोगों, नारीवादी आन्दोलनों, सुधारवादी योजनाओं, समाज के विभिन्न प्रबुद्ध संगठनों के प्रयासों तथा सरकारों द्वारा प्रदत्त तमाम सुविधाओं एवं योजनाओं के परिणामस्वरूप आज महिला के सामाजिक स्तर में अभूतपूर्व सुधार हुआ है और यह दिखने भी लगा है। शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान व अंतरिक्ष के क्षेत्र में, खेल व प्रशासन के क्षेत्र में राजनीति के क्षेत्र में, चिकित्सा व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उद्योग एवं कृषि के क्षेत्र में, यहां तक कि पुलिस व सेना में भी आधुनिक युग की महिलाओं ने नित्य नये–नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। आज समाज में भी जागरूकता आई है और लोगों का मानसिक परिवर्तन भी हुआ है। आज लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाई जा रही है, उन्हें उनकी रूचि के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा रहा है। माता–पिता, अभिभावक, शिक्षक एवं समाज सभी आज इस बात पर एकमत हैं कि लड़कियाँ कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कमतर नहीं हैं।

जिस प्रकार शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। उसी प्रकार व्यक्ति और समाज का भी पारस्परिक अटूट सम्बन्ध है। समाज पर शिक्षा का विशेष प्रभाव पड़ता है और शिक्षा भी समाज द्वारा नियंत्रित एवं परिवर्तित होती रहती है और व्यक्ति चूँकि समाज की इकाई है अतः उस पर तो समाज का सीधा प्रभाव पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का सामाजिक स्तर भी उसकी शिक्षा से आँका जा सकता है। अतः हम आज हमारे भारतीय समाज में नारी की शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है? उस पर एक दृष्टिकोण डालते हैं–

1. विश्वविद्यालय स्तर पर महिला शिक्षा संस्थाऐं–
    - एम0एन0डी0टी0 महिला विश्वविद्यालय, पूना
    - वनस्थली विद्यापीठ, उदयपुर
    - सैन्ट्रल हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस
    - बड़ोदा विश्वविद्यालय कला संगीत विभाग
    - इन्द्रा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़
2. विशेष शिक्षा संस्थाएं
    - इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एजुकेशन, जामिया मिलिया, दिल्ली (कला एवं हस्तशिल्प)
    - टीचर्स कॉलेज ऑफ म्यूजिक, चेन्नई
    - कला क्षेत्र अड्यार, चेन्नई

- सर जे0जे0 स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुम्बई
- विश्व भारती शान्ति निकेतन–संगीत नृत्य–चित्रकला
- लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ग्वालियर
- लेडी इर्विन कॉलेज, दिल्ली
- राजकीय गृहविज्ञान महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद
- डोमेस्टिक साइन्स प्रशिक्षण कॉलेज, हैदराबाद
- विभिन्न शिक्षिका प्रशिक्षण महाविद्यालय
- कर्वे का महिला महाविद्यालय
- प्रयाग महिला विद्यापीठ

आज के युग की यदि विभिन्न क्षेत्रों की ख्याति प्राप्त महिलाओं के नाम हम गिनने लगें तो एक बहुत लम्बी श्रंखला बनती चली जायेगी इसलिए मैं इस युग की विदुषी महिलाओं के नाम लिखने की यहां आवश्यकता नहीं समझता।

वस्तुस्थिति (वास्तविक दशा) क्या है?

तो क्या आज इस विज्ञान एवं तकनीकी के युग में हम यह मान सकते हैं कि हमारे भारतीय समाज में या सम्पूर्ण विश्व में महिला अपने उस मुकाम को प्राप्त कर चुकी है जो उसका है या जिसकी वह अधिकारिणी है? वस्तुस्थिति तो यह बयाँ नहीं कर रही है। आज हमारे भारतीय समाज में महिला पुरूषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है, किसी भी क्षेत्र में महिला का योगदान कम नहीं है, लेकिन क्या हम आज भी उन्हें अपने बराबर मान रहे हैं? क्या उन्हें अनेक मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं कर रहे हैं? क्या आज हम उनका विभिन्न प्रकार का शोषण नहीं कर रहे हैं? क्या हम उन्हें केवल भोग–विलास की वस्तुऐं नहीं समझ रहे हैं? क्या हम उसे आज भी अपने से तुच्छ अर्थात हीन नहीं मान रहे हैं? क्या हम आज भी उस पर अपने अधिकार नहीं थोप रहे हैं? क्याहम आज भी यह अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि महिला हमारी सारी बातें माने और हमारे अनुसार ही जिये? उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, वह केवल एक कठपुतली है? आज भी हमारे पुरुष समाज की यही सोच है और यदि ऐसा नहीं है तो क्या कारण है कि दिनप्रतिदिन महिलाओं के प्रति हिंसा, छेड़छाड़, मारपीट, दुर्व्यवहार, यौन हिंसा तथा बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं? महिला कहाँ सुरक्षित है? उसके अपने घर से लेकर रास्ते में, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, काम करने की जगह पर कहीं भी तो सुरक्षित नहीं बेचारी। इसी समाज में बैठे भेड़िए उसके पीछे लगे हुए हैं और घटने वाली घटनाऐं कुछ समय के लिए समाज को विद्वेलित करती हैं लेकिन नतीजा क्या? दो दिन बाद फिर ऐसी ही दिल दहलाने वाली घटनाऐं। घटना पर घटनाऐं अन्जाम दी जाती हैं? आखिर बेचारी महिला करे तो क्या करे? जब तक हम में से हरेक व्यक्ति अपनी सोच को नहीं बदलेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैं यह

क्यों नहीं सोचता कि मेरे परिवार में मेरी माँ है, पत्नी है, बहन है, बेटी है तथा अन्य महिलाऐं हैं। यदि उनके साथ कोई ऐसा करेगा तो .... सोच को बदलने की जरूरत है। समाज ने व्यवस्था की हुई है। अपनी सोच को मजबूत एवं परिपक्व बनायें, इस जीवन को एक आनन्द मानकर जियें लेकिन यह समझना बहुत ही जरूरी है कि आनन्द की परिभाषा क्या है? क्या ये जो हम कर रहे हैं वह आनन्द है? अरे यह तो ज़हर है, यह तो बहशीपन है, यह तो दरिंदगी है, यह तो अमानवीयता है। हमसे तो पशु–पक्षी भी बेहतर जीवन जी रहे हैं। जब तक हरेक अपनी सोच को नहीं बदलेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है और मजे की बात देखिए आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के प्रति होने वाले इन सभी दुष्कृत्यों में 68 से 70 प्रतिशत तक पुरूष महिला के जान–पहचान के या नाती रिश्तेदार होते हैं। क्या होगा इस समाज का जो अपने को विश्वगुरू कहने का दम भरता है और यह दावे करता है कि हमारे समाज की सभ्यता, हमारे समाज की संस्कृति सर्वोच्च है, बेजोड़ है। हमें बहुत ही संभलकर चलने की जरूरत है और यह सोचने–विचारने तथा समझने की जरूरत है कि जब तक एक महिला का सम्मान नहीं करेंगे, उसके प्रति सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे, हम एक श्रेष्ठ समाज का अंग नहीं हो सकते। कभी–कभी तो ऐसा लगता है कि हमसे बेहतर तो पश्चिम के लोग हैं। कम से कम वहां ऐसी दरिन्दगियाँ तो नहीं होती हैं। वहां 'ओपन सैक्स' है। सैक्स और लिंग मानव की दो भिन्न भिन्न प्रवृत्तियाँ हैं। हमारे भारतीय समाज में लैंगिक पूर्वाग्रह की स्थिति है। पुरूष प्रधान समाज है जिसमें पितृसत्ता का अलग से प्रभाव हैं। पुरूष का अपने तन, अपने मन, अपने धन व अपने वचन पर पूर्ण अधिकार है लेकिन क्या इसी तरह महिला को भी अपने तन, मन, धन व वचन पर पूर्ण अधिकार है? नहीं उसे तो अपने तन व मन पर भी पूर्ण अधिकार नहीं है जोकि नितान्त उसके अपने होते हैं परन्तु उसके तन व मन पर भी पूर्ण अधिकार पुरूष का ही होता है। कैसी विडम्बना है? बचपन में पिता व भाइयों का नियंत्रण, युवावस्था में पति का नियंत्रण तथा वृद्धावस्था में बेटों का नियंत्रण। न तन उसका न मन उसका, धन आदि की तो बात ही छोड़िये। हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र के बुद्धिजीवियों को, समाज सुधारकों को तथा हममें से हरेक को यह बात अच्छी तरह समझनी होगी कि जब तक हम महिला को अपनी बराबरी का नहीं मानेंगे, उसका बराबर का सम्मान उसे नहीं देंगे, उसकी मर्यादा का रक्षण नहीं करेंगे और उसका शोषण बन्द नहीं करेंगे तब तक महिला की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं होगा। इस कार्य को केवल सरकार या न्यायपालिका ही नहीं कर सकती बल्कि इसके लिए समाज के प्रत्येक सदस्य को अपनी सोच में पुख्ता बदलाव लाना होगा। आज हमारे समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार, स्वयंसेवी संगठन तथा समाज का एक बड़ा हिस्सा प्रयासरत है लेकिन जब तक हम हरेक के दृष्टिकोण में वास्तविकता के दर्शन नहीं होते तब तक ये प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो सकते।

महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक कदम–

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं में जीवन का सामना करने के लिए आन्तरिक सुदृढ़ता तथा विश्वास की भावना के विकास से है, जो महिलाओं के अधिकारों एवं योग्यताओं का विस्तार है, जिससे वह विभिन्न संस्थाओं में अपना मुकाम, अपना स्थान हासिल कर सके। हमें यह ध्यान रखना है कि ऐसा कहा जाता है– ''प्रत्येक सफल पुरूष के पीछे जरूर किसी न किसी महिला का हाथ है।'' इस संदर्भ में स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा है– ष्ष्लिवन

कव दवज तंपेम जीम ूवउमद ीव ंतम सपअपदह मउइवकपउमदज वि जीम कपअपदम उवजीमत कव दवज जीपदा जींज लवन ीमदबम ंदल वजीमत ूल जव तपेमष यदि आप स्त्रियों को ऊँचा नहीं उठाते हो जो ईश्वरीय भाषा की कृति का जीवन रूप है तो यह मत सोचों कि तुम्हारे पास ऊँचा उठाने के लिए कोई अन्य रास्ता है।'' जब श्री राम ने बालि का वध किया था तो बालि ने उनसे प्रश्न किया–

''कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव पियारा।।

तब मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम ने उत्तर दिया था–

''अनुजवधू, भगिनि, सुत–नारी। सुन शठ, कन्या, सम ये चारी।।

इन्हें कुदृष्टि बिलोके जोई। ताहि वधै कुछ पाप न होई।।''

इस संसार में माँ को प्रथम गुरू माना जाता है। हम जो कुछ माँ के आँचल में सीखते हैं, ताउम्र उसी पर हमारी जीवन रूपी भवन की नींव खड़ी होती है। माँ ही शक्ति माँ है, माँ ही जगत जननी जगदम्बा है। तो फिर हर महिला का एक रूप 'माँ' नहीं है? तब हम उस 'माँ' का अपमान कैसे कर सकते हैं, जिसका कोई विकल्प, कोई पर्याय है ही नहीं। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में 'माँ' के जैसा कहीं कोई नहीं है–

माँ अनन्त शक्ति है। माँ एक अनूठी भक्ति है।।
माँ गुरू है, पाठशाला है। माँ अमृत का प्याला है।।
ममता का खजाना है माँ। इतिहास का सबसे 'पन्ना' पुराना है माँ।।
माँ ही तो सहारा है। माँ गंगा की निर्मल धारा है।।
माँ काशी है, काबा है। माँ जीवन की शोभा है, आभा है।।
माँ के चरणों में स्वर्ण है, जन्नत है। माँ दुनिया की सबसे बड़ी मन्नत है।।
माँ संगम है, माँ चारो धाम है। सबसे ऊपर बस माँ का ही नाम है।।
माँ जगत है, माँ संसार है। माँ ही मोक्ष का द्वार है।।
माँ कुमकुम है, रोली है, चंदन है। माँ वंदन है, माँ ही अभिनन्दन है।।
माँ त्याग है, तपस्या है, विश्वास है। माँ श्रद्धा है, ज्योति है, प्रकाश है।
माँ अगणित दुआ है, पूजा है। माँ के जैसा न और दूजा है।।
माँ एक नियामत है, वरदान है। माँ आन है, बान है, सम्मान है।।
वेदों की ऋचाओं में माँ। कुर–आन की आयतों में माँ।।
माँ का कोई विकल्प नहीं। माँ का कोई पर्याय नहीं।।
'दास' ढूँढ़ता है कोई माँ जैसा कहीं। पर माँ के जैसा कोई नहीं।।

हम महिला को माँ, बहन, बेटी के रूप में देखें। हमारे समाज की जो सामाजिक संरचना है उसी में प्रारम्भ से ही हमने लैंगिक भेदभाव किया है। हमें लैंगिक भेदभाव को दूर करना होगा। लिंग के आधार पर महिला को हीन नहीं मानना चाहिए क्योंकि समाज में यदि पुरूषत्व आवश्यक है तो उतना ही आवश्यक है स्त्रीत्व। पुरूषत्व तथा स्त्रीत्व तो मानव की लैंगिक पहचान है। लैंगिक पूर्वाग्रहों तथा लैंगिक रूढ़ियों को छोड़कर हमें समता और समानता को सामाजिक न्याय के सिद्धान्त पर लागू करना होगा। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में हमारे शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। शिक्षक समाज में व्याप्त इस संकीर्ण सोच को बदल सकते हैं कि बेटा और बेटी में फर्क है। लैंगिक रूढ़िबद्धता तथा लैंगिक विभेद को दूर करने में भी शिक्षक वर्ग सफल व सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। महिलाओं को भी इस दुश्चक्र से बाहर निकलना होगा, उन्हें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके अपनी हीनग्रंथि से मुक्ति पानी होगी। उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए और अतिरिक्त विशिष्ट संस्थाओं की आवश्यकता अभी भी है। परिवार में 'पितृसत्तात्मकता' का विकल्प बहुत जरूरी है। यदि किसी परिवार में कोई महिला सदस्य सक्षम व सुयोग्य है तो उस परिवार की वह सत्ता उसे सौंप दी जाये और जब ऐसा होगा तो धीरे–धीरे समाज के इस स्वरूप में भी परिवर्तन होगा। कुछ परिवारों में आज भी देखा जा रहा है कि जहाँ एक महिला अपने परिवार को बखूबी संचालित कर रही है और वे कुछेक आदर्श परिवारों में शामिल हैं।

प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यूँ तो स्वतंत्रता के पहले ही हमारे कुछ समाज सुधारकों के प्रयासों के फलस्वरूप (जिनमें राजाराम मोहनराय, रानाडे, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, गांधी जी, ईश्वर चन्द विद्यासागर आदि), बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सतीप्रथा, विधवा विवाह, अशिक्षा तथा सामाजिक भेदभाव आदि कई बुराइयों को दूर करने के प्रयत्न कर दिये गये थे। आजादी के बाद भी ये सुधार जारी रहे और इनमें अन्तर्जातीय विवाह, शिक्षा का प्रचार–प्रसार, रोजगार में वृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता, कानूनी अधिकार मिलना, महिला संगठनों का उद्भव तथा सामाजिक विधानों का पारित किया जाना– इन सभी से महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति में बहुत सुधार हुआ है। आज महिलाऐं सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शिक्षा, कृषि, प्रशासनिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में पुरूषों के साथ बड़ी ही कुशलता से कार्य कर रही हैं।

हमारे देश में महिलाओं की कार्यसहभागिता दर

वर्ष	ग्रामीण		शहरी	
	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
2001–2002	31.4	54.6	13.9	53.3
2002–2003	28.1	54.6	14.0	53.4
2004–2005	32.7	54.6	16.6	54.9
2005–2006	31.0	54.8	14.3	54.0

2007–2008	28.9	54.8	13.8	55.4
2009–2010	26.1	54.7	13.8	54.3
2011–2012	24.8	54.3	14.7	54.6

स्रोत–भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार

निष्कर्ष

वर्तमान में भी महिला सशक्तिकरण के लिये किये जा रहे अनेक प्रयासों के परिणामस्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन आज भी हम अपेक्षित परिणाम नहीं पा सके हैं, अभी तक भी महिलाओं को पुरूषों के समान ही एक सम्पूर्ण मनुष्य समझकर उनके साथ वैसा बर्ताव नहीं किया जा रहा है। अतैव आवश्यकता है कि हम अपनी सामाजिक अभिवृत्ति को बदले और समाज में ऐसी जागरूकता पैदा करें कि कोई महिला को उपभोग की वस्तु समझने की गलती न करे। मीडिया तथा मास मीडिया द्वारा स्त्रियों की शिक्षा, सूचना व संप्रेषण द्वारा संतुलित छवि प्रस्तुत की जाये जिसमें उन्हें बहुआयामी रूपों में दिखाया जा सके और उनके अभद्रप्रस्तुतीकरण को बंद किया जाये। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज–कुप्रथा, लैंगिक उत्पीड़न, यौन हिंसा एवं बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों पर रोक लगे। यद्यपि सरकार ने उपरोक्त सभी अपराधों पर रोक लगाई हुई है और इन कृत्यों के विरूद्ध कानून भी बनाये हुए हैं, लेकिन कानूनों का लचीलापन तथा समाज की विकृत मानसिकता इन अपराधों में कमी नहीं आने देती। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि यदि हमारा भारतीय समाज महिला का पूरा सम्मान करते हुए उसकी मर्यादा की रक्षा करने, उसे बराबरी के अधिकार देने तथा अपनी सोच को परिष्कृत करके उसे यह एहसास दिलाये कि भारतीय समाज वास्तव में महिला को सम्माननीय पूजनीय, मातृशक्ति मानने और इस जीवन रूपी गाड़ी का प्रथम साझीदार मानने के लिए तैयार है'' में सफल होता है तो इसे वास्तव में महिला सशक्ति के रूप में देखा जायेगा और इससे ही हमारे सम्पूर्ण समाज का उत्थान होगा तथा हम फिर से 'विश्वगुरू' बन सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भसीन, कमला (2013), अण्डरस्टेंडिंग जैण्डर, वूमैन अनलिमिटेड, दिल्ली।
2. ईएजी (2014) एजुकेशनल स्टेटिस्टिकस एट ए ग्लांस, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. घई, अनिता (2002) डिस्ऐबिल्ड वूमैन।
4. एनसीईआरटी (2005) जेण्डर इश्यू न एजुकेशन।